

प्रेस नोट दिनांक 25-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

गणतन्त्र दिवस के अवसर पर जनपद में नियुक्त निम्न अधिकारी/कर्मचारीगण को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के दृष्टिगत अति उत्कृष्ट/उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है। सिद्धार्थनगर पुलिस उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण-

- 01- सेवानिवृत्त उ0नि0 श्री रविकान्त मणि त्रिपाठी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 02- उ0नि0 श्री सूर्य प्रकाश सिंह, थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।
- 03- उ0नि0 श्री ओपेन्द्र सिंह, सदर मालखाना जनपद सिद्धार्थनगर।
- 04- मुख्य आरक्षी फखरे आलम, थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
- 05- मुख्य आरक्षी कमल कुमार, पेशी अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर।
- 06- मुख्य आरक्षी लक्ष्मण पाण्डेय, पेशी सी0ओ0 डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर।
- 07- मुख्य आरक्षी आरमोरर वीरेन्द्र कुमार कुशवाहा पुलिस लाइन जनपद सिद्धार्थनगर।
- 08- मुख्य आरक्षी राम जी गोविन्द राव पुलिस लाइन जनपद सिद्धार्थनगर।
- 09- आरक्षी रामसूरत पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर।

उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण-

- 01- उ0नि0 श्री जय प्रकाश प्रसाद थाना भवानीगंज।

प्रेस नोट, थाना शोहरतगढ़ दिनांक 25.01.2022

गणतंत्र दिवस की दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम ने थाना शोहरतगढ़ अन्तर्गत खुनुवां अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर फ्लैग मार्च कर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान।

राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 25-01-2023 को जयराम, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मय थाना शोहरतगढ़ पुलिस व एस.एस.बी की संयुक्त टीम द्वारा थाना शोहरतगढ़ क्षेत्रान्तर्गत खुनुवां अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर मय दंगा नियन्त्रण उपकरणों के साथ फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहनों की सघन चेकिंग की गई। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में भी होटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी अभियान चलाकर सघन चेकिंग की जा रही है। जनपद के अन्य बार्डर वाले इलाकों में भी गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बॉर्डर पर सभी वाहनों की चेकिंग कराने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत सोशल मीडिया पर भी पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। फ्लैग मार्च के पश्चात खुनुवां एसएसबी कैम्प में पुलिस व एसएसबी के मध्य वॉलीबाल मैच खेला गया। आपसी सामंजस्य बनाये रखने हेतु समय-समय पर इस तरह का आयोजन किया जाता है।

प्रेस नोट दिनांक 08-12-2022 थाना शिवनगर डीडई जनपद सिद्धार्थनगर

ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत ग्राम प्रधान कटबंध मो0यूसुफ के सौजन्य से ग्राम कटबंध में आने-जाने वाले मुख्य मार्ग पर 02 सीसीटीवी कैमरें स्थापित कराये जाने पर थाना शिवनगर डीडई पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आपरेशन त्रिनेत्र अभियान (हर घर कैमरा) के तहत आज दिनांक 25.01.2022 को थाना शिवनगर डीडई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कटबन्ध ग्राम प्रधान कटबंध मो0यूसुफ के सौजन्य से मुख्य मार्ग पर 02 हाई कैपेसिटी सीसीटीवी कैमरा लगवाने पर क्षेत्राधिकारी बांसी व थानाध्यक्ष थाना शिवनगर डीडई द्वारा को सम्मानित किया गया तथा उनके इस प्रयास की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।

प्रेस नोट- दिनांक 25-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

ऑपरेशन प्रहार के तहत 01 अपराधी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध/अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत आज दिनांक 25-01-2023 को चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के थाना चिल्हिया पर धारा 3(3) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की कार्यवाही की गयी।

निम्नलिखित अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी-

01-हफीजुर्हमान पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी बसठा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर उम्र 40 वर्ष।

प्रेस नोट- दिनांक 25/01/2023 थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर

थाना कठेला समय माता पुलिस द्वारा महिला सशक्तिकरण, मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ माण्टेसरी स्कूल कठेला बाजार के छात्र व छात्राओं को किया गया जागरूक।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में जयराम, क्षेत्राधिकारी शोरतगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 25.01.2023 को संतोष कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता के नेतृत्व में थाना कठेला समय माता पुलिस द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी

अपराध, महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में सिद्धार्थ माण्टेशरी स्कूल कठेला बाजार मे विद्यालय के बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा महिलाओं व बच्चो सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम के दौरान संतोष कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक कठेला समय माता, म0आ0 कंचन सिंह म0आ0 निधि सिंह, म0आ0 करिश्मा व अन्य पुलिस बल के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य व अध्यापक व छात्र-छात्रायें मौजूद रहे।

प्रेस नोट- दिनांक 25.01.2023 साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर

साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा साइबर क्राईम जागरूकता अभियान के अन्तर्गत जय किसान इण्टर कालेज सकतपुर सनई के छात्र व छात्राओं को किया गया जागरूक।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “साइबर क्राईम जागरूकता अभियान के संबंध में” दिए गए निर्देश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में व नोडल अधिकारी साइबर सेल जयराम, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ व सुबाष यादव, प्रभारी साइबर सेल के नेतृत्व में आज दिनांक 25.01.2023 को जय किसान इंटर कॉलेज, सनई तिराहा नौगढ़ में साइबर सेल से उ0नि0 हरिओम कुशवाहा, मुख्य आरक्षी अतुल चौबे, आरक्षी अजय कुमार यादव, आरक्षी शिवम मौर्या व उ.नि. श्री रतीश चंचल, आरक्षी प्रभाकर यादव थाना सिद्धार्थनगर द्वारा निम्न बिन्दुओं पर जानाकारी साझा किया गया -

साइबर अपराध के दृष्टिगत बचाव हेतु जानाकारी साझा कर साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 एवं cybercrime.gov.in पर साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के सम्बन्ध में जानकारी दिया गया।

साथ ही यह जानाकारी दिया गया कि सोशल साइट के माध्यम से किसी भी अंजान व्यक्ति से कोई भी निजी जानाकारी साझा न करे और किसी भी प्रकार के ईनामी, लाटरी जैसी लुभाने विज्ञापनों से सचेत रहे।

किसी भी अंजान व्यक्ति के काल करने पर अपनी बैंक सम्बन्धी कोई भी निजी जानाकारी शेयर न करे जैस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगलपे/फोन पे पिन की जानाकारी इत्यादि।

फोन, ई-मेल, एमएमएस, whatsapp या न्यूजपेपर के माध्यम से प्राप्त नौकरी, लॉटरी, पॉलिसी, बोनस, सस्ता लोन, आदि पर भरोसा न करे। पूर्ण रूप में जानाकारी प्राप्त कर ही कार्य करे।

Facebook/Instagram/Twitter/Email/Whatsapp/JioChat/Telegram आदि सभी सोशल साइट्स एप के माध्यम की गयी बात/chat या धनराशि की मांग पर भरोसा न करे, फोन करके या मिलकर कन्फर्म अवश्य करे।

महिला सशक्तिकरण जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिला सम्बन्धित अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 एवं महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस हेल्पलाइन 112 के बारे में जानकारी प्रदान किया गया।

साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादि।

ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्सटैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।

अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।

वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https (“s” से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।

ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।

साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाईन नं0 1930 पर व पुलिस दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।

सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।

फोन पर कैश रिवाइड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।

ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।

अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0न0 8181818200 एवं 1930 पर सम्पर्क करें।

!!साइबर ठगों से सावधान! जानकारी और जागरूकता ही बचाव है !!!

प्रेस नोट- दिनांक 25-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर

सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के संबंध में अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में आज दिनांक 25-01-2023 को जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मिश्रौलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1966/2017 धारा 326,376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गोविन्द केवट पुत्र बाढू केवट निवासी सेमरा (कृष्णानगर) वार्ड नं0-03 थाना कृष्णानगर, जनपद कपिलवस्तु राष्ट्र नेपाल को प्रभावी पैरवी कर दण्डित कराया गया । उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त को माननीय न्यायाधीश प्रमोद कुमार सिंह-2, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट सिद्धार्थनगर द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 25,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । दण्डित कराये जाने में एडीजीसी पवन कर पाठक व जिला मानिटरिंग सेल, न्यायालय पैरवीकार मुख्य आरक्षी विरेन्द्र कुमार थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा ।

प्रेस नोट दिनांक 25-01-2023

13 वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जनपद के पुलिस कार्यालय व समस्त थानों/चौकियों पर निर्वाचन में अपने मताधिकार के प्रयोग की दिलायी गयी शपथ ।

अमित कुमार आनन्द पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश के क्रम में सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक- 25 जनवरी 2023 को समय 13.00 बजे तेरहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पुलिस कार्यालय सिद्धार्थनगर में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार के प्रयोग की शपथ दीलायी गयी तथा इसी प्रकार जनपद के पुलिस लाईन्स, समस्त थानों/चौकियों/कार्यालयों में नियुक्त कर्मियों को संबंधित प्रभारी द्वारा शपथ दिलाई गयी ।

दिलायी गयी शपथ

हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए, निर्भीक होकर, धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे ।